JALAUN POLICE

दिनांक– 18.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा में तहरीरी सूचना दी गयी कि आरोपीगण द्वारा वादी के लडके को पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करना व जान से मार देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर दिनांक 14.02.2018 को थाना कदौरा पर मु0अ0सं0 23/2018(वाद संख्या- 112/18) धारा- 302/504 भादवि बनाम 1- शेखर सिंह पुत्र रणविजय सिंह नि0 ग्राम लहरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर एवं अज्ञात के अभियोग पंजीकृत हुआ था।

विवेचना से दिनांक 19.02.2018 को आरोपी जगदीश नारायण उर्फ कपरवा महाराज पुत्र लक्ष्मी नारायण नि0 ग्राम लहरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 02.04.2018 को अभियुक्त शेखर व दिनांक 21.05.2018 को अभियुक्त जगदीश उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 04.06.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 18.07.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शेखर सिंह एवं जगदीश नारायण उर्फ कपरवा महाराज उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।